हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 104

वीरवार, 10 मार्च, 2016/20 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2807 से 2814 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2815 से 2831 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1213 से 1218 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>12-00 PM</u>

2. <u>कागज़ात सभा पटल पर :</u>

श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 34वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **126वां मुल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **127वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) समिति के 205वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **51वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 3.7 से 3.14 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड** से सम्बन्धित है की प्रति सभा पटल में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यन्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यन्वयन पर आधारित है।

(4) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **20वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12-05 PM

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :

श्रीमती आशा कुमारी ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :-

दिनांक 9 मार्च, 2016 को अमर उजाला समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षकः "**मणिमहेश में ग्लेशियर की चपेट में आए पांच युवक, दो लापता**" से उत्पन्न स्थिति ।

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्रीमती आशा कुमारी ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

5. **<u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः-</u>**

श्री सुरेश भारद्वाज ने **कार्य-सलाहकार समिति का दशम् प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार।

6. **<u>गैर-सरकारी सदस्य कार्यः-</u>**

"संकल्प"

श्री रिखी राम कौंडल ने निम्न संकल्प जो दिनांक 03-12-2015 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है, पर आगे चर्चा की :-

> "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में उपलब्ध सौर उर्जा के दोहन हेतु सभी ज़िलों में सौर उर्जा पार्क/संयंत्रों की स्थापना हेतु नीति बनाए।"

निम्नलिखित ने चर्चा की :-

i. डॉ0 राजीव बिन्दल
ii. श्री हंस राज

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

पहला संकल्प

श्री इन्द्र सिंह ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा की :-

"यह सदन सरकार से सफिारिश करता है कि प्रदेश के युवाओं में नशीले पदार्थों के उपयोग की बढ़ती प्रवृति व उससे आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए नीति बनाए।"

निम्नलिखित ने चर्चा की :-

i. श्री कुलदीप कुमार
ii. श्री बलदेव सिंह तोमर
iii. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिव
iv. डॉ0 राजीव सैजल
v. श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव
vi. श्री हंस राज
vii. श्री महेश्वर सिंह
viii. श्री जय राम ठाकुर
ix. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

दूसरा संकल्प

श्री महेन्द्र सिंह ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा की :-

"प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों में बादल फटने एवं भारी वर्षा से जान माल की क्षति व भूमि कटाव को रोकने के लिए एक बृहद योजना बना कर केन्द्र सरकार को भेजी जाए और उसके लिए आर्थिक पैकेज की मांग की जाए।"

निम्नलिखित ने चर्चा की :-

I. श्रीमती आशा कुमारी
II. श्री रवि ठाकुर

माननीय राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री महेन्द्र सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।
माननीय राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया।
संकल्प वापिस हुआ।

तीसरा संकल्प

श्री रविन्द्र सिंह ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विश्व बैंक या विदेशी सहायता द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं से वंचित पंचायतों में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृत हेतु विश्व बैंक या विदेशी सहायता के लिए भेजा जाए।"

(**सदन की बैठक सांय 5.00 बजे शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई**)